भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *136
(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवस

***136. श्री सचिदानन्दम आर.:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के शुरू होने के बाद से वित्तीय वर्ष-वार सृजित औसत कार्य दिवसों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार का किस तरह से आवंटन में अपना हिस्सा बढ़ाकर साल में 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने का विचार है;
(ग) अगर रोजगार के औसत दिन 50, 80 और 125 हों, तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में अकेले केंद्र सरकार और सामूहिक रूप से राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ का ब्यौरा क्या है; और
(घ) मनरेगा पर पिछले वर्ष हुए खर्च के आधार पर अनुमानित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 28.07.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 136 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): वित्त वर्ष 2008-09 से जून 2026 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत प्रति परिवार औसत कार्य दिवसों का वर्षवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025, पूर्ववर्ती मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिनों के स्थान पर, कार्य की मांग करने वाले प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की सांविधिक गारंटी प्रदान करता है। जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना तथा प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के शमन पर विशेष बल देते हुए अनुमत कार्यों की व्यापक श्रेणी उपलब्ध कराकर कार्यों के दायरे को भी उल्लेखनीय रूप से विस्तारित किया गया है, साथ ही संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण के माध्यम से अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकार कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रोजगार की बढ़ी हुई सांविधिक गारंटी एवं रोजगार की अनुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की 09 माह की अवधि, अर्थात 01.07.2026 से 31.03.2027, के लिए बजट अनुमान चरण में योजना हेतु ₹95692.31 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है। राज्यों के अंश को ध्यान में रखते हुए, इस अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत निधियों का कुल परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है।

(ग) एवं (घ): वीबी-जी राम जी के अंतर्गत वित्तीय आवश्यकताएं कई गतिशील कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें रोजगार की वास्तविक मांग, अधिसूचित मजदूरी दरें, किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति, सामग्री व्यय एवं प्रशासनिक लागत आदि शामिल हैं। तदनुसार, कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक बजटीय आवश्यकता का आकलन इन कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वीबी-जी राम जी हेतु किया गया ₹95,692 करोड़ का आवंटन, देश में किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान चरण में की गई अब तक की सबसे अधिक आवंटन राशि है। यह वित्त वर्ष 2026-27 के पहले तीन माह के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत किए गए ₹30,000 करोड़ के बजट आवंटन के अतिरिक्त है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 136 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्त वर्ष 2008-09 से जून 2026 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्रति परिवार औसत कार्य दिवसों का वर्ष वार ब्यौरा	
वित्तीय वर्ष	**प्रति परिवार प्रदत्त औसत रोजगार दिवस**
2008-09	38
2009-10	42
2010-11	42
2011-12	43
2012-13	46
2013-14	46
2014-15	40
2015-16	49
2016-17	46
2017-18	46
2018-19	51
2019-20	48
2020-21	52
2021-22	50
2022-23	48
2023-24	52
2024-25	50
2025-26	43
2026-27 (जून 2026 तक)	24

नरेगासॉफ्ट में यथा उपलब्ध।
